# राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या – 271/2025** (GCMS C.N. 2025/720) **निगरानी**

1. सम्पत पिता शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

—निगराकार

1. शैतान पिता छोगा गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पिता शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
3. सांवरा पिता शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
4. बरमा पिता शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
5. मनीष पिता शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
6. पूषमा देवी पत्नी शैतान गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
7. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा

— गैर निगराकार

**निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा बमामले मिसल संख्या 91 प्रस्ताव संख्या 5 पट्टा सं. 9 दिनांक 06.03.2024**

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता, निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28/01/2026

निगराकारान द्वारा उक्त निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम राजगढ़, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा में निगराकारान्

28.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

व गैर निगराकार संख्या–01 व 06 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है जिनके पडोस पूर्व में भगवान/छोटु गुर्जर का मकान, पश्चिम–गोपाल पिता छोगा गुर्जर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में नारायण/उदा गुर्जर का मकान जिसके मध्य निराकारान् व गैर निगराकार संख्या–01 से 06 के पूर्वजों के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1)के तहत दिनांक 08–08–2023 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में दिनांक 06–03–2024 को जारी किया गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पचांयत ने पुश्तैनी मकान का पट्टा एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी किया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है। क्योकि पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 06 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित शुदा होकर मकान बना हुआ है, तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार/प्रार्थी का भी पूर्ण रूप से हक अधिकार निहित है। अंकित पुश्तैनी मकान के लिए निगराकार के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 से लगायत 06 का भी हित निहित होकर स्वतंत्र रूप से पट्टा बनाने के वैधानिक अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 से मिलीभगत कर षड्यन्त्र रचते हुए गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में विवादित पट्टा जारी किया गया जो खारिज योग्य है। क्योकि तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 06 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित होकर उपयोग–उपभोग में चला आ रहा है। जिसका कि पंचायत राज सामान्य नियम 157 (ख) के तहत पट्टा विलेख जारी करने का कोई कानूनी व हक अधिकार नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ ग्राम पचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कर निगराकार के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 से लगायत 06 को अपने हक अधिकारो से वंचित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पुश्तैनी मकान का पट्टा विलेख 9 दिनांक 06–03–2024 निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचांयत राजगढ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–05 दिनांक 05–01–2024 के परिपेक्ष्य में पत्रावली संख्या–91 पट्टा संख्या 9 दिनांक 06–03–2024 को जारी किया गया जिसे निरस्त कराया जाकर निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 06 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी कराने के आदेश अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ को जारी कराना फरमावे।

उक्त निगरानी पंजीबृद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार 1 से 6 का जवाब प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार 01 से लगायत 06 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब अनुसार कि ग्राम राजगढ में निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 06 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में भगवान/छोटु गुर्जर का मकान। पश्चिम गोपाल पिता छोगा गुर्जर, उत्तर में आम रास्ता। दक्षिण में– नारायण/उदा गुर्जर का मकान। उक्त चारो पड़ौसो के मध्य निगराकार व गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 06 के पूर्वजो के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकारध्प्रार्थीया का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ पचायत समिति माण्डलगढ़ तहसील काछोला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1) के तहत दिनांक 08–08–2023 को

28.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में दिनांक 06–03–2024 को जारी किया गया। तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ़ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–05 दिनांक 05–01–2024 के परिपेक्ष्य में पत्रावली संख्या–91 पट्टा संख्या–9 दिनांक 06–03–2024 को जारी किया गया। अतः निगराकारान् की और से विवादित पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे तो हम गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 06 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पटटा संख्या 09 जो कि संयुक्त परिवार के मकान को बनाया गया है जो निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पोषणीय होने से स्वीकार की जाती है व ग्राम पंचायत राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों के स्वामित्व के अनुरूप पुनः पटटा जारी करें। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत राजगढ, पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.1.26

(यशजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा